


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम
अलवर

अनवान फिरोज बनाम श्रीविद्यु
किस्म मुकदमा 212 मु0नं0 261 सन 2021

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

03.09.2021


प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंगन दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 04.10.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित हाल आ0ख0नं0 436/1.7000 है0 वाके ग्राम टेउवास तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 का जब तक रिकोर्ड तकासमा ना हो जाये तब तक विवादित आराजी के किसी भी जुज पर किसी भी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण कार्य ना करे, ना ही विवादित आराजी को मुन्तकिल करे, ना वादी के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जब्रन बेदखल करे, ना कब्जा करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रोडा एक्ट पत्रावली पर प्रभावी नही होगी। आगामी पेशी दिनांक तक रजिस्टर्ड रसीद पेश नही करने पर यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 04.10.2021 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

4/10/21
वकुलाय फरीकेन उप0/श्रीमान P.O. सहाब
रीगर राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा
पत्रावली दिनांक 04.10.21 को उनके
द्वारा पेश हो

20/11/21
पत्रावली अज प्रशासन गवों के संग अधिकांश 2021 के मुद्दे
टेउवास में पेश हुई। प्रार्थी ने अपना वाद जरिये प्रार्थना
पत्र पेश करा लिखा है अतः प्रार्थना पत्र का कोई
ओरिजिन नहीं रह जाता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज
लिखा जाता है पत्रावली नोमल सुमार दोसर नम्बर
में कप्त ले तथा वाद नकलील लेख प्रहार है।

प्रशासन गावों के संग
अभियान-2021


शिविर प्रशासी
संयोजक संयोजक
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)


9/10



जध
(महसुब)
ग्राम पंचायत के
पं0 स0 कोटकासिम (अलवर)